कार्यालय अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– अति.मु.न.नि. / रा.आ.म. / जयपुर / 2021–22 / 483 दिनांक : 19.01.2022

उमंग सावलका (निदेशक)
शिवज्ञान बिल्डकोन प्रा. लि.
जी–2, शिवज्ञान लक्जोरा स्कीम,
राजमहल परिवहन मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

विषयः– भूखण्ड संख्या–14 R-1 (क्षेत्रफल 3300.00 वर्ग मीटर) शिप्रापथ, मानसरोवर योजना, जयपुर के रिहायशी बहुमंजिला आवासीय परिसर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन करने बाबत्।

महोदय,

1. उक्त स्वीकृति एकीकृत भवन विनियम–2017 के तहत जारी की गयी है।
2. उक्त स्वीकृति एकीकृत भवन विनियम–2017 के बिन्दु संख्या–14.11 के अनुसार पूर्व में जारी अनुमोदित मानचित्रों की दिनांक से 7 (सात) वर्ष के लिये मान्य होगी।
3. इस निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं स्वामित्व विवादित होने की स्थिति में भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए राजस्थान आवासन मण्डल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
4. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
5. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
6. विद्युत सेवा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधो में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
7. नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुरूप होगी।
8. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौके पर वास्तव में आवेदनकर्ता द्वारा लगाई जावेगी।
9. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आवेदनकर्ता द्वारा लगाया जावेगा।
10. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत् में जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है, उन बाबत् मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगें।
11. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
12. आवेदनकर्ता की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
13. अनुमोदित संशोधित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है वह भाग आवेदनकर्ता द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इस का पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाये जाने पर राजस्थान आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के तोडने का हकदार होगा एवं तोडने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर राजस्थान आवासन मण्डल हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है जिसे आवेदनकर्ता देने के लिए बाध्य रहेंगें।

14. अनुमोदित संशोधित मानचित्रों की प्रति निर्माण स्थल पर बोर्ड पर आवेदनकर्ता द्वारा चस्पा कर प्रदर्शित की जावेगी, साथ ही वास्तुविद्, भवन मालिक व ठेकेदार का नाम भी अंकित किया जावेगा। यदि भवन निर्माण के समय मौके पर उक्त वर्णित डिस्प्ले' नहीं है तो संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा निर्माण कार्य तुरन्त प्रभाव से रूकवा दिया जावेगा।
15. प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे।
16. एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम संख्या 16 एवं 17 के अनुसार भवन का निर्माण पूर्ण होने पर भवन निर्माणकर्ता को पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
17. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एफ 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी।
18. भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र चाहने पर संस्था द्वारा लेबर डिपार्टमेंट में लेबर सैस स्वयं के स्तर पर जमा करवाकर संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
19. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के समय स्थायी अग्निशमन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
20. आवेदनकर्ता द्वारा कचरापात्र की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

संलग्न :– अनुमोदित संशोधित भवन मानचित्र का एक सैट।

भवदीय

अनिल माथुर 19/01/22

(अनिल माथुर)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त, वृत–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–नवम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को अनुमोदित संशोधित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि भवन निर्माण अनुमोदित संशोधित भवन मानचित्रों के अनुसार हों।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

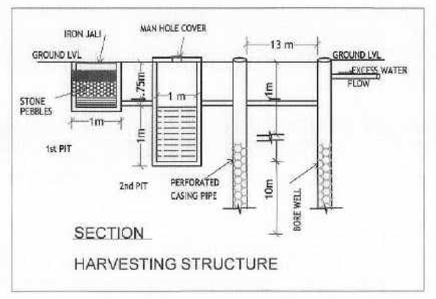

PLOT AREA = 3300.00 SQ.MT.	ACHIVED
STANDARD B.A.R = 3300.00 X 2.00 = 6600 SQ.MT.	17863.25 SQ.MT. (5.41)
GROUND COVERAGE AREA PERMISSIBLE = 3300.00 X 0.40 = 1320.00 SQ.MT.(40%)	1234.10 SQ.MT. (37.39%)
LANDSCAPE AREA PERMISSIBLE = 3300.00 X 0.10 = 330.00 SQ.MT.	331.02 SQ.MT. (10.03%)

B.A.R CLACULATION SHEET

S.NO.	FLOORS	GROSS B.UA. (SQ.MT.)	FIRE-ESCAPE (SQ.MT.)	ELE.ELEMENTS (SQ.MT.)	SERVICES & SHAFT (SQ.MT.)	LIFT (SQ.MT.)	B.A.R. (SQ.MT.)	PARKING AREA (SQ.MT.)
1.	LOWER BASEMENT	2263.28	-	-	104.16	19.01	61.94	2078.17
2.	UPPER BASEMENT	2392.08	-	-	241.60	19.01	57.01	2074.46
3.	GROUND FLOOR	1260.85	26.75	-	2.59	19.01	392.16	820.34
4.	FIRST FLOOR	1235.69	26.75	-	2.19	19.01	1187.75	
5.	SECOND FLOOR	1522.90	26.75	5.46	2.19	19.01	1469.49	
6.	THIRD FLOOR	1522.90	26.75	5.46	2.19	19.01	1469.49	
7.	FOURTH FLOOR	1522.90	26.75	5.46	2.19	19.01	1469.49	
8.	FIFTH FLOOR	1522.90	26.75	5.46	2.19	19.01	1469.49	
9.	SIXTH FLOOR	1522.90	26.75	5.46	2.19	19.01	1469.49	
10.	SEVENTH FLOOR	1522.90	26.75	5.46	2.19	19.01	1469.49	
11.	EIGHTH FLOOR	1522.90	26.75	5.46	2.19	19.01	1469.49	
12.	NINTH FLOOR	1522.90	26.75	5.46	2.19	19.01	1469.49	
13.	10TH FLOOR	1522.90	26.75	5.46	2.19	19.01	1469.49	
14.	11TH FLOOR	1522.90	26.75	5.46	2.19	19.01	1469.49	
15.	12TH FLOOR	1522.90	26.75	5.46	2.19	19.01	1469.49	
16.	TERRACE	231.70	-	-	231.70	-	-	
	TOTAL	24135.50	347.75	60.06	606.33	285.15	17863.25	4972.97

PARKING CALCULATIONS:-

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

RESIDENTIAL PARKING $\frac{\text{BAR ACHIEVED}}{115} = \frac{17863.25}{115}$ = 155.33 E.C.U

25 % VISITOR PARKING = 38.83 E.C.U.

TOTAL PARKING REQUIRED = 155.33 + 38.83 = 193.66 E.C.U.

75 % CAR PARKING REQ. = 193.66 X 0.75 = 145.24 E.C.U. , CAR 146 SAY

25 % SCOOTER PARKING REQ. = 193.66 X 0.25 = 48.41 E.C.U. (145.23 SCOOTER)

PARKING AVAILABLE =

CAR PARK IN OPEN & COVD. AREA = 60 NO.S

CAR PARK IN UPPER BASEMENT FLOOR = 33 NO.S + MECH. 08= 41 E.C.U

CAR PARK IN LOWER BASEMENT FLOOR = 31 NO.S + MECH. 14= 45 E.C.U

TOTAL = 146.00 NO.S

TWO WHEELERS IN OPEN ON G.F. = 20 NO.S

TWO WHEELERS IN UPPER BASEMENT = 54 NO.S

TWO WHEELERS IN LOWER BASEMENT = 72 NO.S

TOTAL = 146 (48.66 E.C.U.) NO.S

TOTAL PARKING PROVIDED = 146+48.66 = 194.66 E.C.U.

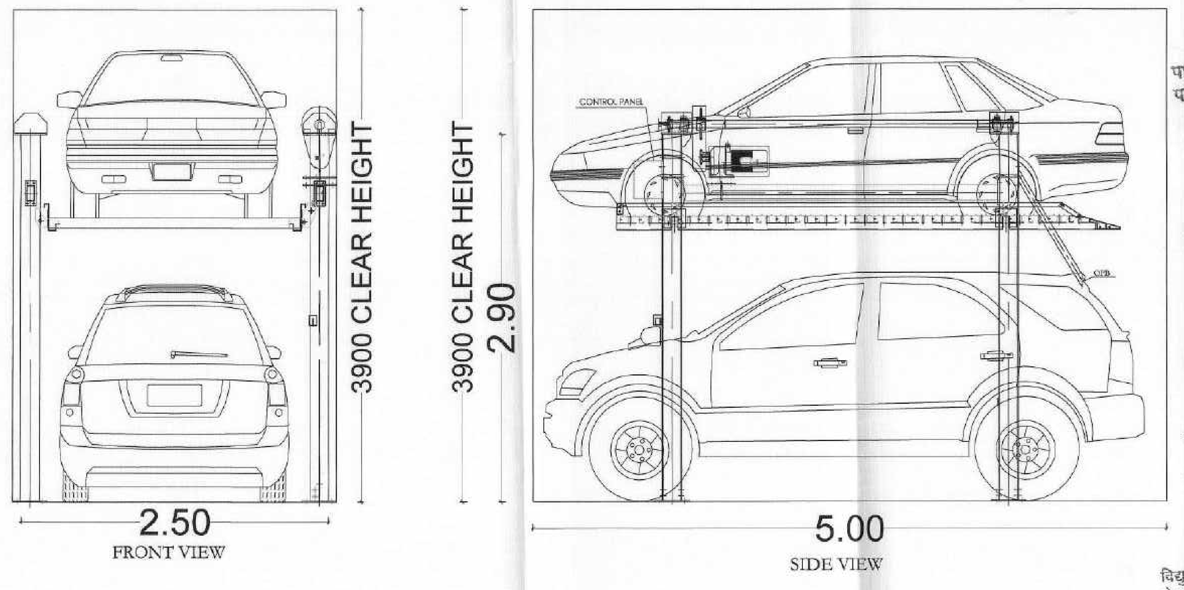

SHEET NO. 01

SITE PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भूमि प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी [illegible] नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) [illegible] तथा आवासन मण्डल कार्यालय में [illegible] पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483 दि. 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

SITE PLAN

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100	NORTH POINT
For Shivgyan Buildcon Pvt. Ltd.	GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT Architect CA/97/22030
OWNER	ARCHITECT

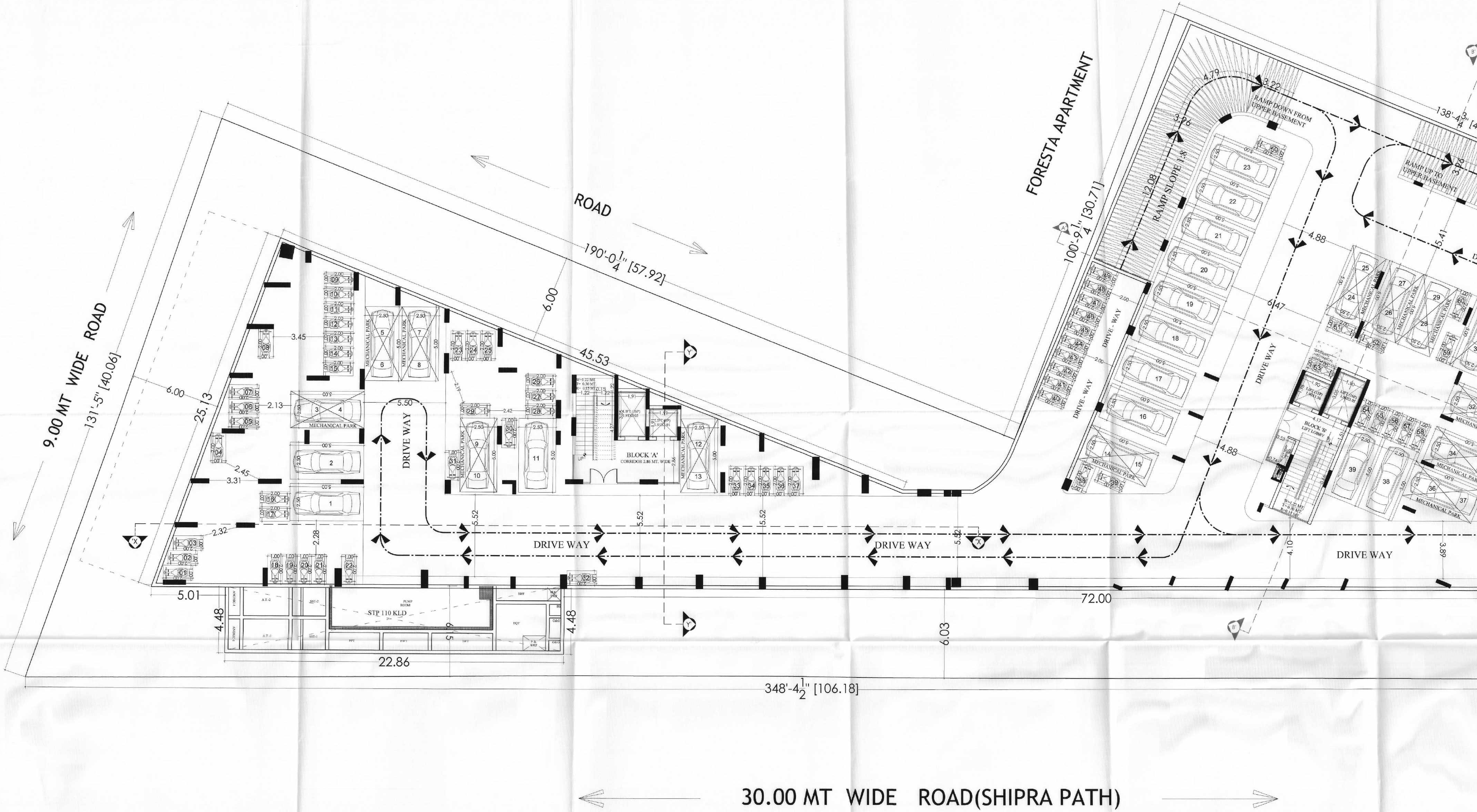

LOWER BASEMENT PLAN

SHEET NO. 02

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/01/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483 दि. 31/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Shivgyan Buildcon Pvt. Ltd.

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

30.00 MT WIDE ROAD(SHIPRA PATH)

UPPER BASEMENT PLAN

SHEET NO. 03

UPPER BASEMENT PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Vontilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान [illegible]

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई [illegible] के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों [illegible] निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी [illegible] से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) [illegible] होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही [illegible] होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

19/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं० 483 दि० 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

UPPER BASEMENT PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Shivgyan Buildcon Pvt. Ltd.

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Vontilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

SHEET NO. 04

GROUND (STILT) FLOOR PLAN

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र–नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा या स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मानी होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/01/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं० 483 दि० 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

GROUND(STILT) FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100	NORTH POINT
...an Buildcon Pvt. Ltd.	GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT Architect CA/97/22030
OWNER	ARCHITECT

FIRST FLOOR PLAN

SHEET NO. 05

FIRST FLOOR PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Vontilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधा के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरु करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22

सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/01/22

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483
दि. 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

FIRST FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1, SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100	NORTH POINT
For Shivayan Buildcon Pvt. Ltd. Director	GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT Architect CA/97/22030
OWNER	ARCHITECT

SHEET NO. 06

TYPICAL(SECOND TO11TH)FLOOR PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Vontilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483 दि. 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

2 TO 11 TH (TYPICAL) FLOOR PLAN

DRAWING TITLE
TYPICAL (SECOND TO 11TH FLOOR PLAN)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Shivgyan Buildcon Pvt. Ltd.
Director

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER | ARCHITECT

12 TH FLOOR PLAN

SHEET NO. 07

12TH FLOOR PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Vontilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483
दि. 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

12 TH FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100 | NORTH POINT

For Shivgyan Buildcon Pvt. Ltd.
Director

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER | ARCHITECT

SHEET NO. 08

TERRACE FLOOR PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Vontilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधा के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483
दि. 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Shivgyan Buildcon Pvt. Ltd.

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER	ARCHITECT

SHEET NO. 09

ELEVATION BLOCK (A)

FRONT ELEVATION

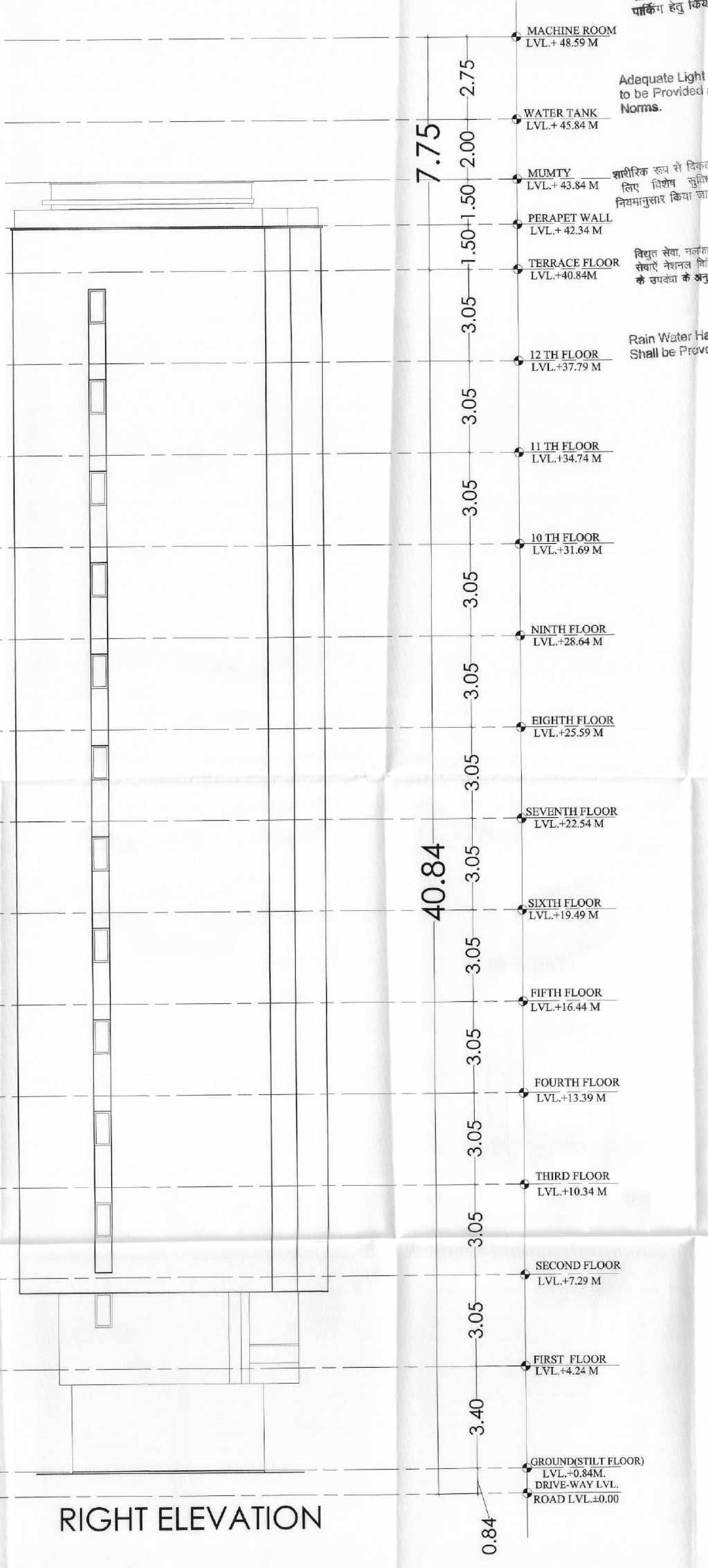

RIGHT ELEVATION

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Vontilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार होगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/11/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/11/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/11/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483
दि. 19/11/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE
ELEVATION BLOCK (A)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100	NORTH POINT
OWNER	ARCHITECT

For Shrigyan Buildcon Pvt. Ltd.

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

REAR ELEVATION

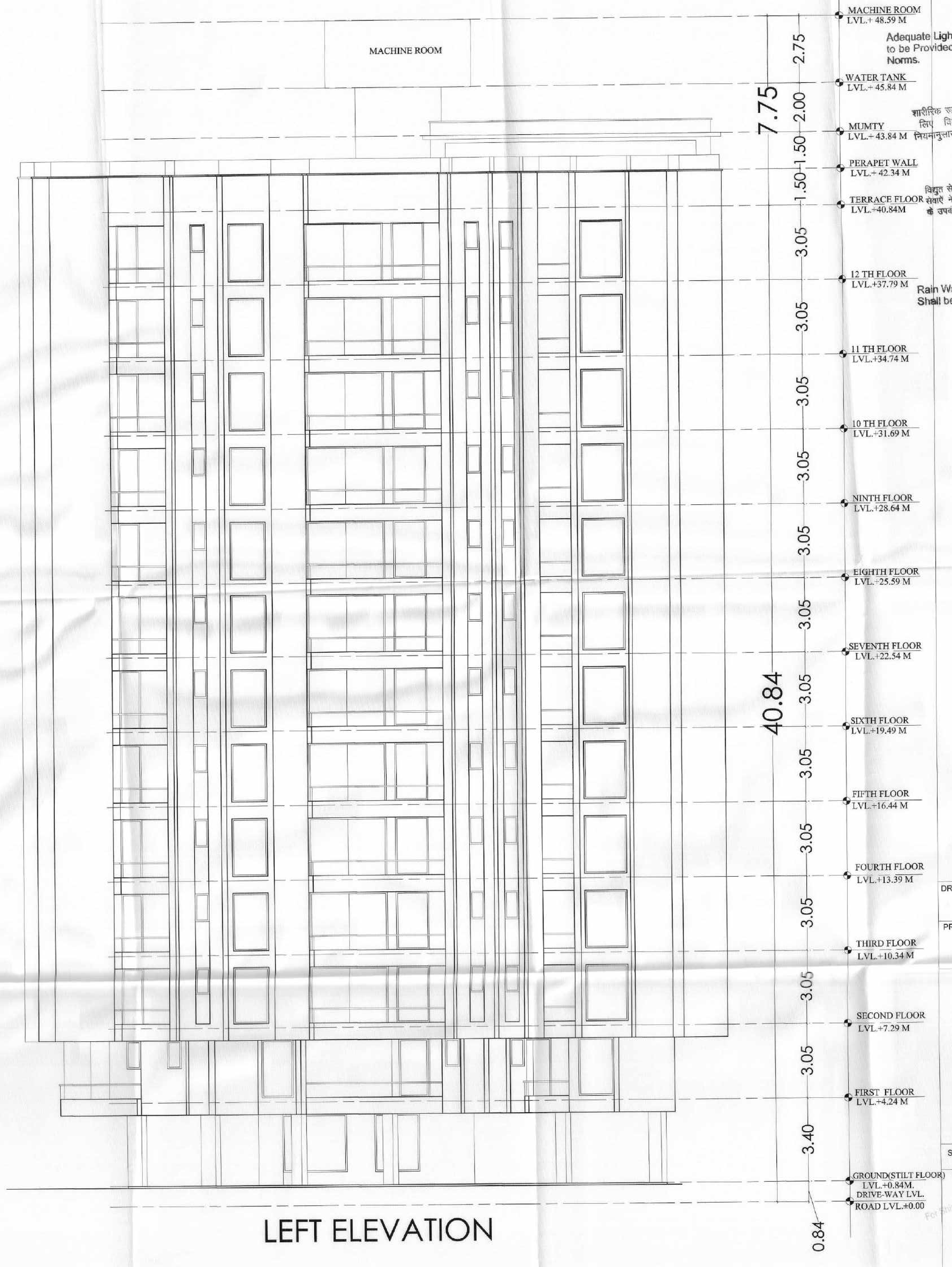

LEFT ELEVATION

SHEET NO. 10

ELEVATION BLOCK (A)

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Vontilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधा के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों का निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483 दि. 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE
ELEVATION BLOCK (A)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Shivgyan Buildcon Pvt. Ltd.
Director

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

SHEET NO. 11

ELEVATION BLOCK (B)

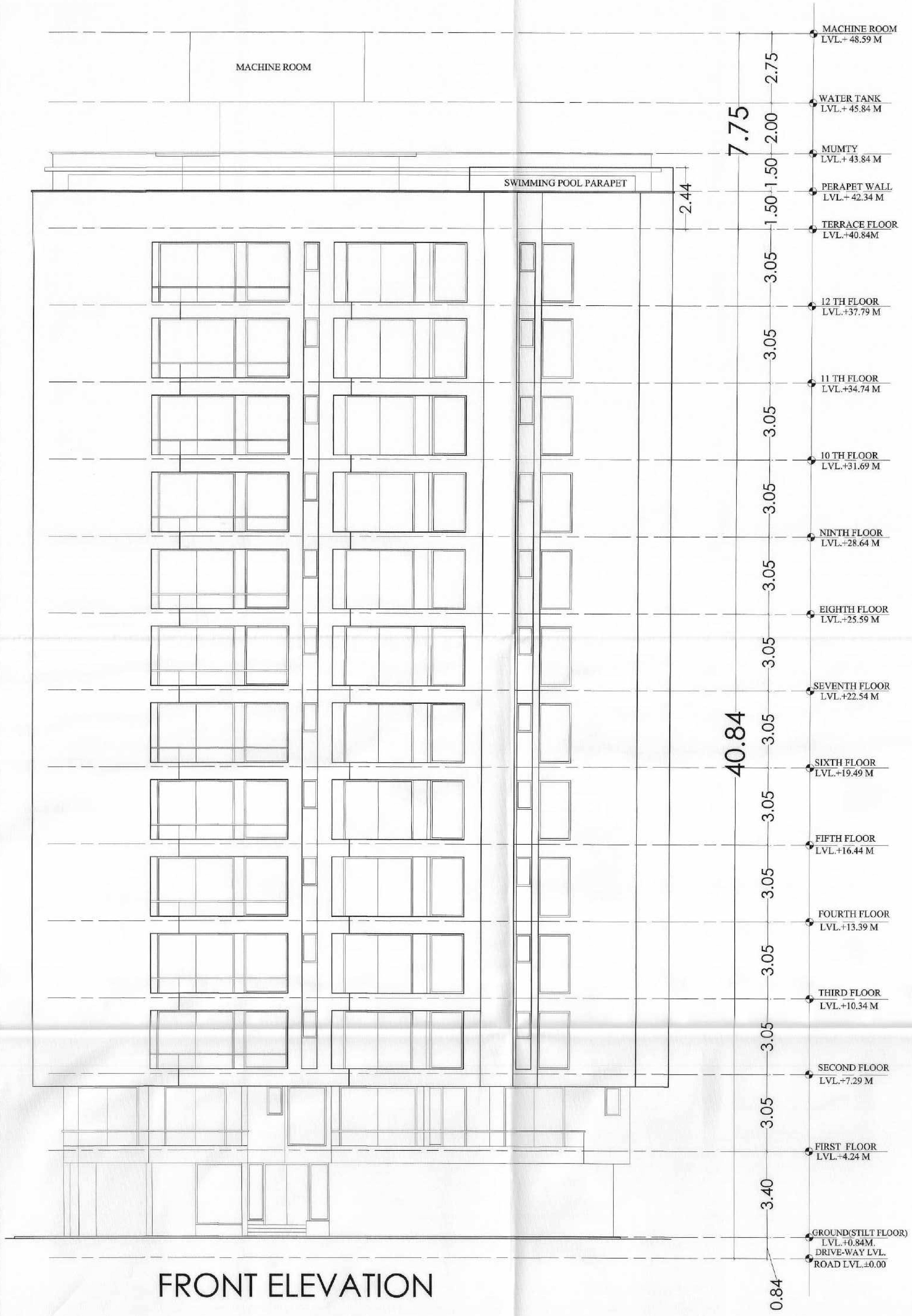

FRONT ELEVATION

LEFT ELEVATION

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Adequate Light and Vontilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधा के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरु करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483
दि. 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

ELEVATION BLOCK (B)

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100	NORTH POINT
	GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT Architect CA/97/22030
OWNER	ARCHITECT

SHEET NO. 12

ELEVATION BOCK (B)

RIGHT ELEVATION

REAR ELEVATION

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवर पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Vontilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान, नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कॉड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ती प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं०...... 483
वि० 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

ELEVATION BLOCK (B)

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100	NORTH POINT
OWNER	GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT Architect CA/97/22030 ARCHITECT

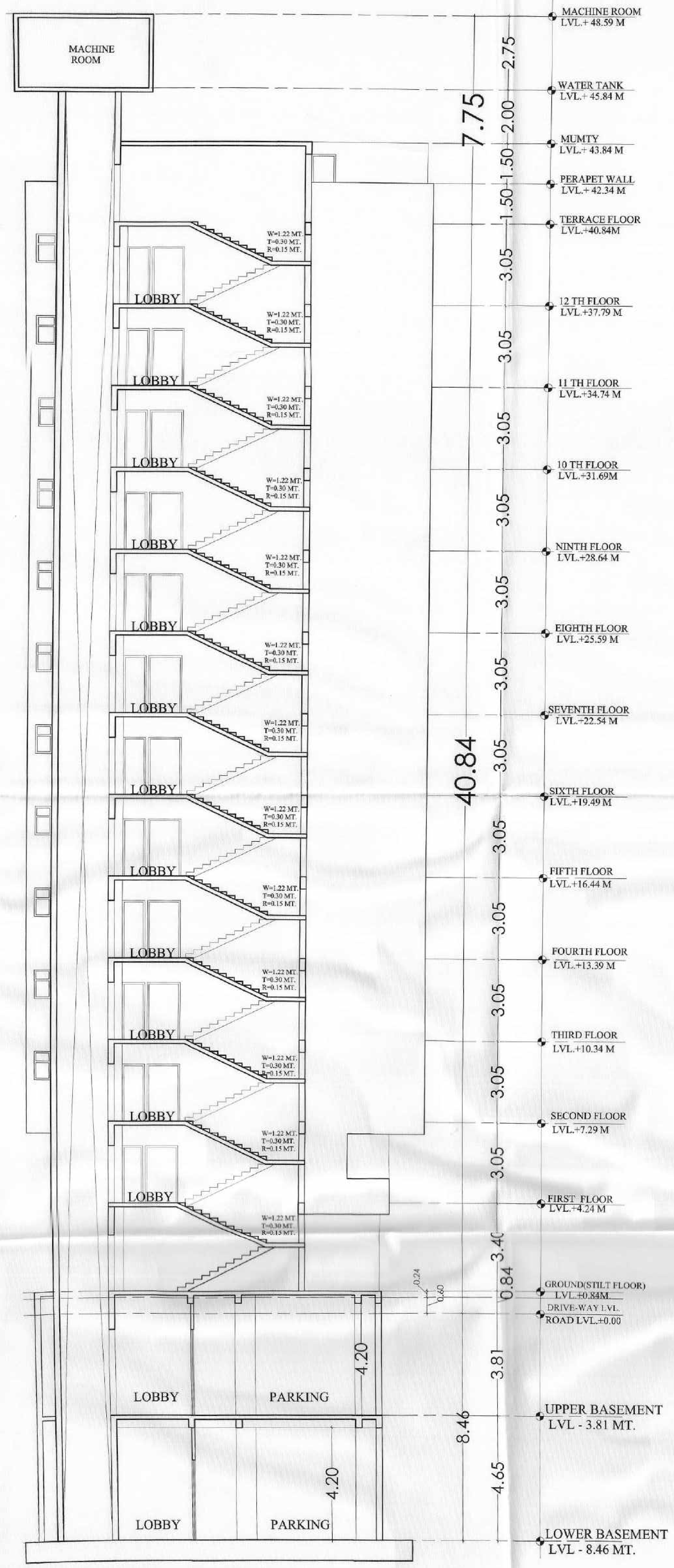

BLOCK -A (SECTION -Y'-Y)

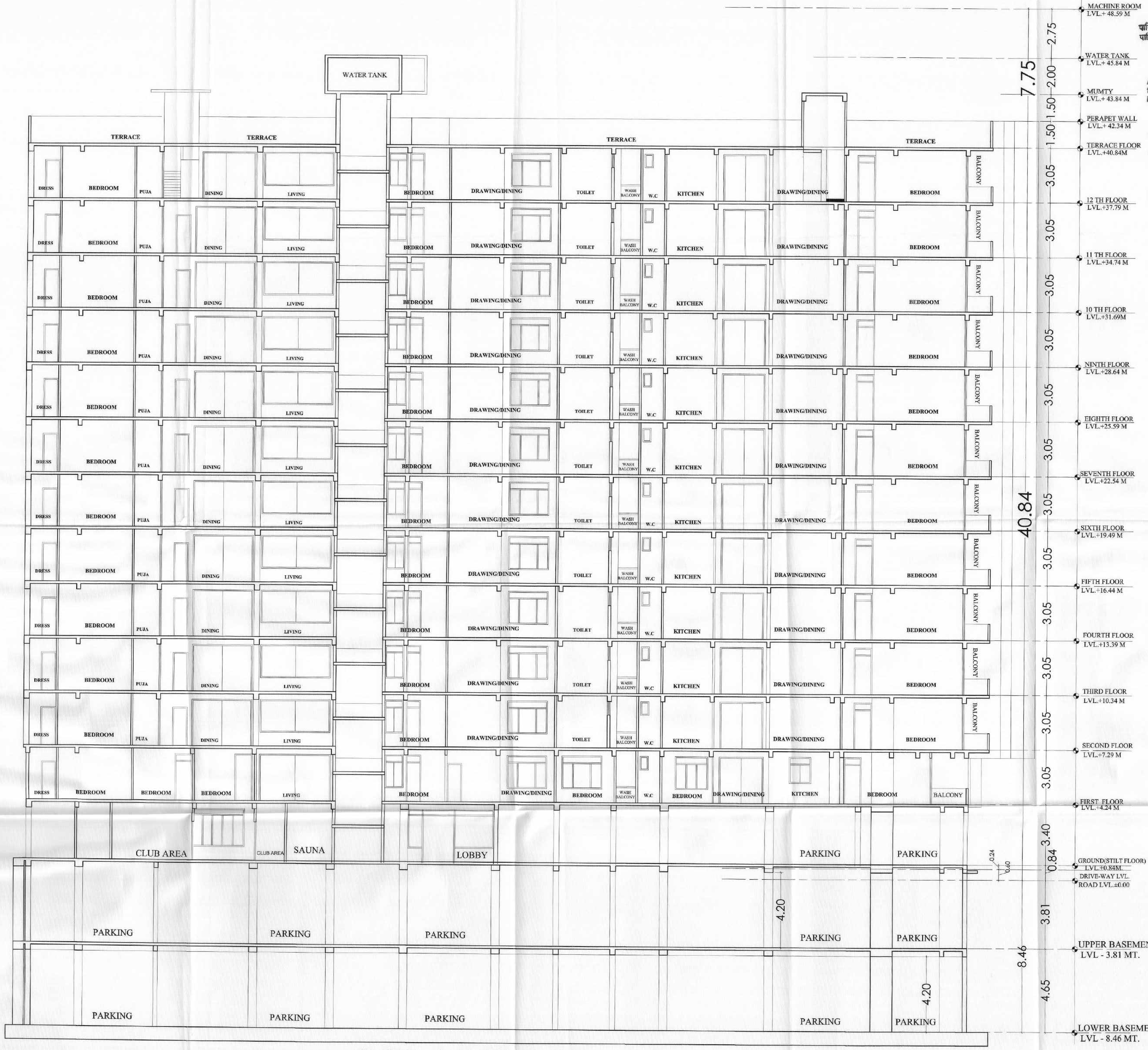

BLOCK -A (SECTION -X'-X)

SHEET NO. 13

SECTIONS BLOCK (A)

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Vontilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावें।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DAT OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों का निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं० 483
दि० 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

SECTIONS BLOCK (A)

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100	NORTH POINT
	GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT Architect CA/97/22030
OWNER	ARCHITECT

SHEET NO. 14

SECTIONS BLOCK (B)

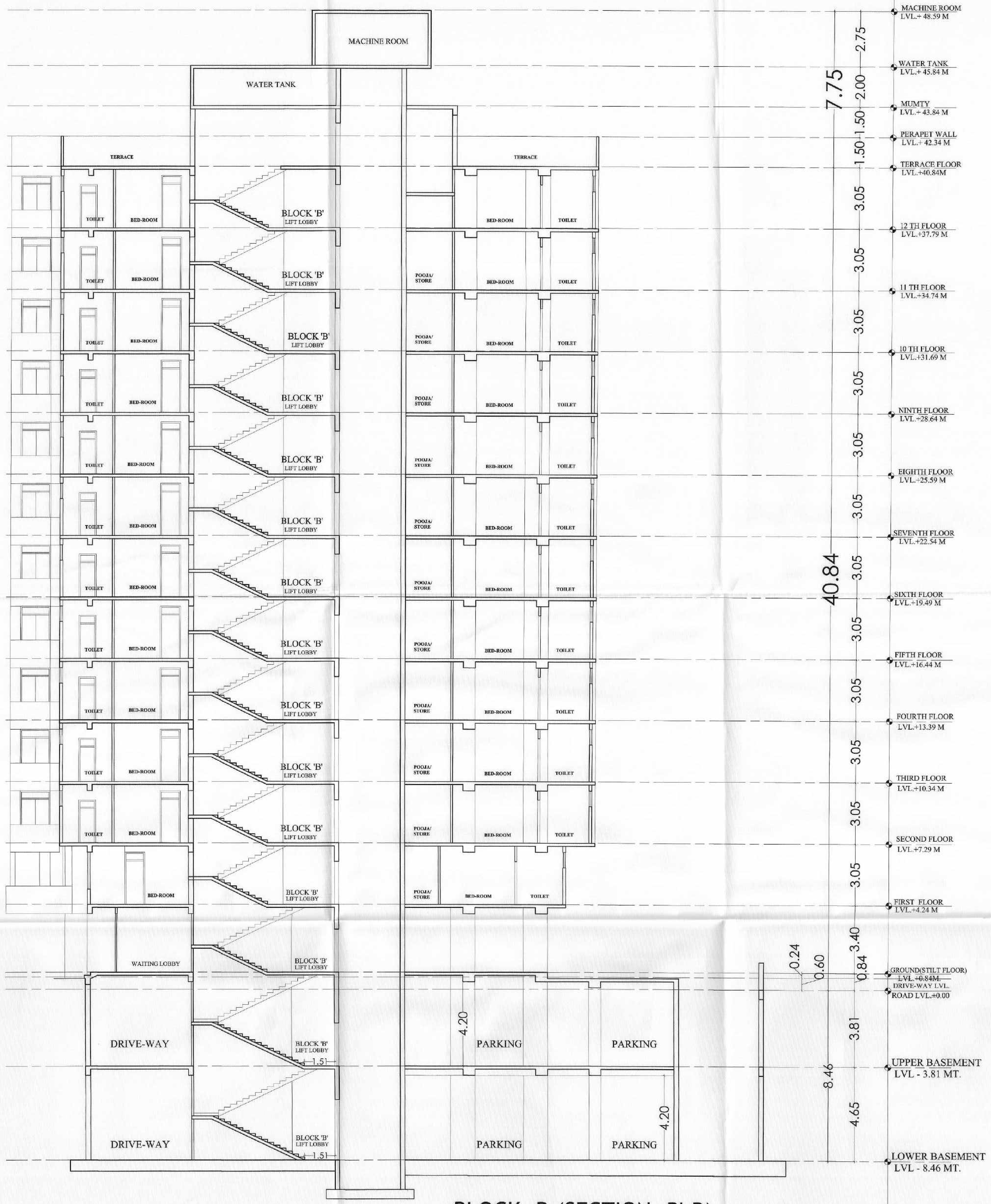

BLOCK -B (SECTION -B'-B)

BLOCK -B (SECTION -A'-A)

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधा के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरु करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/1/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/1/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483 दि. 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

SECTIONS BLOCK (B)

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX,JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT